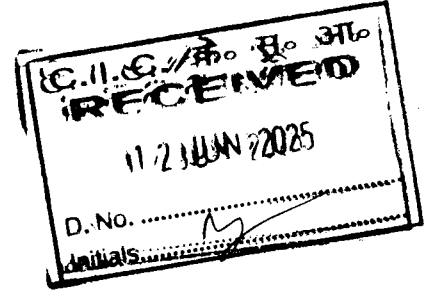




केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067



प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00114
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/P/25/00226
अपीलकर्ता श्री चरण सिंह

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	21.04.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	02.05.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.05.2025 & 21.05.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. अनंथारमन CPIO, (DR to IC VT) & श्री ओ.पी. पोखरियाल CPIO (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.05.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	20.05.2025
निर्णय की तारीख	11.06.2025

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 21.04.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी :-

“1.) - आरटीआई एक्ट की धारा 19 (3) के अंतर्गत मेरी एक द्वितीय अपील दिनांक 24.06.2024 केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में दिनांक 27.06.2024 को प्राप्त हो गई थी। यदि इस द्वितीय अपील दिनांक 24.06.2024 की सुनवाई हो चुकी है तो कृपया सूचना आयोग के आदेश की प्रति

उपलब्ध करा दीजिए अन्यथा की स्थिति में सुनवाई की अगली संभावित तारीख की सूचना उपलब्ध कराने की कृपया करें।

2.) आरटीआई एक्ट की धारा 19 (3) के अंतर्गत मेरी एक अन्य द्वितीय अपील दिनांक 11.09.2024 केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली में दिनांक 13.09.2024 को प्राप्त हो गई थी जिसका आयोग में डायरी क्रमांक 129692 दिनांक 13.09.2024 है। यदि इस द्वितीय अपील दिनांक 11.09.2024 की सुनवाई हो तो केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश की प्रति उपलब्ध करा दीजिए अन्यथा की स्थिति में सुनवाई की अगली संभावित तारीख की सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस. अनंथारमन तथा श्री ओ.पी. पोखरियाल, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों ने पत्र दिनांकित 08.05.2025 तथा 21.05.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

Point No. 1.) - Your Second Appeal dated 24.06.2024 has been registered as file no. CIC/POSTS/A/2024/120604 on 27.04.2024. It will be listed for hearing in due course of time as per raoster for listing of Second Appeals.

Point No. 2.) - Your Second appeal dated 11.09.2024 has been registered as file No. CIC/MORLY/A/2024/129692 on 19.09.2024. It will be listed for hearing in due course of time as per raoster for listing of Second Appeals. At present, Second Appeals registered in the month of January 2024 are listed for hearing.

3. प्रथम अपील का आधार

केंद्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली के जन सूचना अधिकारी द्वारा मेरे उपरोक्त क्र सं 1 पर संदर्भित आरटीआई आवेदन दिनांक 21.04.2025 के बिंदु सं 1 में मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः आरटीआई एक्ट की धारा 19 (1) के अंतर्गत यह प्रथम अपील आपके समक्ष इस निवेदन सहित प्रस्तुत की जाती है कि मेरे आरटीआई आवेदन दिनांक 21.04.2025 के बिंदु सं 1 की वांछित सूचना (मांगी गई सूचना) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4. निर्णय

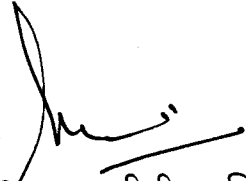
आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00226 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में यह कहा है कि मुझे बिंदु

सं 1 की कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है, जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने 21.05.2025 को ही सूचना दे दी है। जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सलग्न कर दी गई है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 11.06.2025


रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

 12/06/25

